

जवाब दावा व राजीनामा पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकूलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंशिकतः ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नहीं किया गया है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 2 शारदा ने उक्त खेताय से अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग कर रहे हे एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किय गया है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार जायल के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**— : आदेश :-**

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी ओमप्रकाश व प्रतिवादी संख्या 1 जयनारायण के शामिलति हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अजबपुरा के खेत खसरा नम्बर 203/13 रकबा 5.0181 हैक्टेयर पूरा खेत सहखातेदारी में 1/2-1/2 रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 3 मांगीलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रामसर का खेत खसरा नम्बर 29 रकबा 1.3193 हैक्टेयर यथावत रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 शारदा के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
4. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरो का रहन यथावत रहेगा।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा तैयार हो। तदनुसार पालना हेतु तहरीर तहसीलदार जायल को जारी हो।



(ओमप्रकाश वर्मा)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल

निर्णय आज दिनांक 17.7.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल